16-05-2026

अभियुक्त वीरू सिंह की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 17.05.2018 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान मात्र दो अभियोजन साक्षियो का साक्ष्य हुआ, जिन्होने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में कुछ नही जानते। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुये।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले में दो अभियोजन साक्षियो का साक्ष्य हुआ, जिन्होने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि **वह घ ाटना के बारे में कुछ नही जानते। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुये। गतः तिथि को यह आदेश हुआ था कि अगली तिथि को साक्ष्य नही लाने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर द0प्र0स0 की धारा 232 के अंतर्गत आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज ना तो साक्षी की हाजरी है और ना ही साक्ष्य हेतु समयावेदन है।** अतः साक्ष्य बंद कर, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त वीरू सिंह, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्त को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इसे तथा इसके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।

Biru Singh Vs. State of Bihar

web copy